कार्यालय नगरपरिषद राजसमन्द, जिला राजसमन्द

क्रमांक : न.प.रा. / फायर / 2023–24 - 3164 दिनांक : 12-2-24

अग्नि सुरक्षा प्रमाण –पत्र

गांधी सेवा सदन राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.) के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2023 के अनुसार अग्नि–सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से दिनांक 09.02.2024 को अग्निशमन अधिकारी उदयपुर द्वारा गांधी सेवा सदन राजसमन्द का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पायी गईः–

गांधी सेवा सदन राजसमन्द में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार सीओटू एबीसी के फायर एस्ट्रींग्यूसर यथास्थल पर लगे हुए पाये गये तथा सभी अग्निशमन उपकरणों को चलाकर चेक किया गया जो सही पाये गये। उक्त सदन मुख्य मार्ग पर होने से फायर वाहन आने जाने का रास्ता सुरक्षित होकर आवागमन में कोई बाधा नहीं है।

उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सही पाये जाने पर निम्न शर्तो पर पाबन्द करते हुए यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्ते :–

1. गांधी सेवा सदन राजसमन्द में तैनात सिक्युरिटी गार्ड व अन्य कर्मचारियों को वर्ष में एक बार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रशिक्षण दिलाना अनिवार्य होगा।
2. गांधी सेवा सदन राजसमन्द में लगाये गये अग्निशमन यंत्रों का समय समय पर रख रखाव आवश्यकतानुसार करना होगा।
3. यदि राज्य सरकार या परिषद द्वारा कोई आदेश / नियम जारी किया जाता है तो सदन मालिक को जारी आदेश मान्य होगा तथा निर्धारित शुल्क नोटिस अनुसार जमा कराना होगा अन्यथा एन.ओ.सी. मान्य नहीं होगी।
4. अग्निशमन विभाग द्वारा किसी भी समय गांधी सेवा सदन राजसमन्द के निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
5. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अस्थाई रूप से एक वर्ष तक वैद्य होगा। जिसे नवीनीकरण कराने की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद राजसमन्द

फायर इन्चार्ज
नगरपरिषद राजसमन्द

D:/All letter/Fire